न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12 / 167 / 2017

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
प्रतापसिंह		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड
एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड		अधिकारी किशनगढबास (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.12.2017

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं और ना ही कोई जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 26.07.2017 के माध्यम से उपखण्ड कार्यालय किशनगढबास को पूर्व में दिनांकः 13.07.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण आवेदक द्वारा प्रार्थना–पत्र दिनांकः 30.08.2017 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट / ए.डी.एम.प्रथम / आर.टी.आई.अपील / 2017 / 957–58 दिनांकः 20.09.17 के माध्यम तलब कर दिनांकः 04.10.2017 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया एवं जवाब प्राप्त नहीं होने पर पत्रांकः 1163 दिनांकः 26.10.2017 के माध्यम से स्मरण–पत्र जारी कर नोटिस का जवाब भिजवाने बाबत निर्देशित किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से दिनांकः 04.10.2017 को एवं उसके पश्चात् कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही किसी प्रकार का जवाब नोटिस प्राप्त हुआ।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी पक्ष अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सजग नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा प्रकरण में आदिनांक तक कोई जवाब / प्रत्युत्तर / प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से आवेदक के प्रथम आवेदन–पत्र दिनांकः 26.07.2017 के संबंध में अधिनियम की धारा 7(1) के तहत ना ही विनिर्दिष्ट

समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई गई और ना ही अधिनियम की धारा 7(8) व 8(1) क से 8(1) ञ में उपलब्ध किन्हीं उपाबन्धों के तहत आवेदन अस्वीकृति / खारिज करने संबंधी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई अर्थात् सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कोई युक्तियुक्त कारण आवेदक उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं प्रथम अपील में जारी नोटिस के बावजूद भी अपीलार्थी को सूचना प्रेषित नहीं की है जो अधिनियम की भावना के प्रतिकूल है।

9 . अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के 15 दिवस में अपीलार्थी को प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.07.2017 में वांछित सूचना निःशुल्क ही नियमानुसार अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे।

10. यहाँ यह भी वर्णन करना उचित होगा कि भविष्य में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों के अनुसरण में अधिनियम के प्रावधानानुसार निर्धारित समयावधि में आवेदकों को सहज भाव से सूचना की अदायगी में अविलम्ब सूचना प्रेषित की जावे।

11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

12. निर्णय घोषित ।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर (राज0)